प्रारुप—2.2

परियोजना का नाम :—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना मे झाला – कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य लम्बाई (0.40 +1.10 km)

परियेाजना की वित्तीय / प्रषासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय / प्रषासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न कर दी गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त को प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट कर दिया गया है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0विभाग
घनसाली (टि0ग0)

प्रेषक,

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल ।

प्रेष्य,

अधीक्षण अभियन्ता
8 वां वृत लो0नि0वि0,
नई टिहरी ।

पत्रांक– 548 /रा0यो0आ0/जि0यो0/2009–10 दिनांक 9, सितम्बर, 2009

विषय– जिला योजना वर्ष 2009–10 की प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सचिव, लोक निर्माण विभाग अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश सं0 1229/III (2)/09–02 (बजट)/2009 दिनांक 26.5.09 के द्वारा लो0नि0वि0 जनपद टिहरी गढवाल के लिये रू0 788.47 लाख की धनराशि मार्ग / सेतु कार्यो के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान सं0–22 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत व्यय हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के निर्वतन में रखी गई है । जिला योजना वर्ष 2009–10 में लो0नि0वि0 जनपद टिहरी में सभी खण्डों का रू0 1037.60 लाख कीं धनराशि अनुमोदित है । अधी0 अभि0, 8 वां वृत लो0नि0वि0 नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 6651 /30सी–8/09 दि0 8/9/2009 के द्वारा रू0 1037.60 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है ।

शासनादेश सं0 624/रा0यो0आ0/मु0स0 /जि0यो0/2009–10 दि0 24.3.08 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की गई व्यवस्था के कम में रू0 1037.60 लाख की धनराशि जनपद के समस्त निर्माण, खण्डों को मार्ग / सेतु योजनाओं के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुसार प्रदान की जाती है ।

1– उक्त धनराशि में से सर्वप्रथम चालू कार्यो को पूरा किया जाने हेतु सम्बन्धित कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये व्यय की जाय ।

2– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कियान्वयन में बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 211 के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन तथा " टाइम ओवर रन" एवं "कास्ट ओवर रन" के प्रकरण हेतु अर्द्धशासकीय पत्र सं0 बी–1–33586/10–99 जुलाई, 1999 द्वारा निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत किया जाय ।

3– उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाये । व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है । धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका टैण्डर /कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन किया जाये ।

5– स्वीकृत धनराशि की फांट जिला योजना में प्राविधान के अन्तर्गत रखी जायेगी, इससे अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

6– आहरित धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित रूप पत्र बी0एम0–8 पर आगामी माह 8 तारीख तक मुख्य अभि0, लो0नि0वि0 पौडी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

7– आवंटित धनराशि से होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5054 सडको तथ सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें, आयोजनागत 800–अन्य व्यय –91 जिला योजना –00–24 वृहत निर्माण कार्य में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

8– योजना के कार्यो पर व्यय जनरल अवेस्ट्रेक्ट आफ कास्ट के मदों के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जाये ।

data2/comp2/lp

9— जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृति विस्तृत आगणन में नही है । उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वादा किया जाय ।

10— सुरक्षात्मक कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र पौडी से करवाकर कर ही निर्मित करवाया जाय ।

11— उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा मासिक आवश्यकतानुसार तीन समान किस्तों में कोषागार से आहरण किया जायेगा, योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग एवं निर्गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगा ।

12— कार्य तक तक प्रारम्भ न किया जाय एवं उन पर कोई व्यय न किया जाय और उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का वित्तीय वायदा न किया जाय जब तक कि प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत आगणन / नक्शें आदि पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय ।

13— उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंवटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाये । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों के अधीन व्यय करने पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाये ।

14— मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । जहां आवश्यक हो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर वित्तीय व्यय के प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जायेगा । जहां निर्माण कार्य किये जाने हो वहां आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियमानुसार कर लिया जायेगा ।

15— योजनाओं पर कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब उनके प्रांकलन तैयार कर स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाय ।

भवदीय,

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल ।

पत्रांक— /रा0यो0आ0/जि0यो0/2009–10 दिनांकित

प्रतिलिपि—

1— आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी ।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल ।
4— सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड देहरादून ।
5— सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड देहरादून ।
6— मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून ।
7— मुख्य अभियन्ता गढवाल क्षेत्र लो0नि0वि0, पौडी ।
8— निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून ।
9— जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी टिहरी गढवाल ।
10— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढवाल ।
11— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नईटिहरी ।
12— गार्ड/ बजट पत्रावली के उपयोगार्थ ।

Photocopy Attested

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल ।

data 2/comp2/Jp

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

लोक निर्माण विभाग जिला योजना वर्ष 2009 10 के जनपद टिहरी गढवाल के मार्गो / पुल पुलियों का निर्माण कार्य जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक /रा0यो0आ0/जि0यो0/09-10 दि0 द्वारा प्रदान की गई है ।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई किमी0 में	लागत रू0 लाख में
1	2	3	4
1	रोणिया अगरोडा मो0 मार्ग के किमी0 2, 3 का डामरीकरण कार्य		
2	वसेली चांटी का छूटा भाग का नव निर्माण कार्य	2.00	39.60
3	कंगसाली में क्षतिग्रस्त गूल टैंक निर्माण	1.00	15.00
4	पीपलडाली सिलोली के अवशेष कार्य व प्रतिकर	एक मुश्त	2.00
5	मोटणा मदननेगी किमी0 8 क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	एक मुश्त	12.00
6	चन्द्रेश्वर लासी मो0 मार्ग मकान खेतों का प्रतिकर भुगतान एवं सुधारीकरण	एक मुश्त एक मुश्त	2.00 8.00
7	मोटणा मदननेगी के छेरपधार बाजार में सुरक्षा दीवार निर्माण		
8	प्रतापनगर चौंधार ओखला किमी0 5 में हौज नामे तोक में प्रतिक्षालय	एक मुश्त	2.00
9	लम्बगांव बिजपुर में पनियाला मे बस स्टाप सुधारकरण /प्रतिक्षालय	एक मुश्त	2.50
10	के0डी0एम0 मार्ग पर बोर्ड/एज स्टोन निर्माण	एक मुश्त	2.50
11	नेल्डा स्कूल पर क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	एक मुश्त	3.00
12	किमी0 19 में प्रतापनगर टिहरी में काजवे का निर्माण	एक मुश्त	2.00
13	लम्बगांव बिजपुर किमी0 5 में दो हैयर वैण्ड सुधार	एक मुश्त	3.50
14	के0 जी0 पी0 मार्ग 1 किमी0 में नाली निर्माण	एक मुश्त	5.00
15	पी0टी0 मो0 मार्ग मुंडोली में सुरक्षा दीवार एवं B/W किमी0 24, 25	एक मुश्त	2.00
16	पी0टी0 किमी0 32 से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र मदननेगी तक 600 मी0 सडक निर्माण	एक मुश्त 0.60	2.00 17.34
17	मोटना मदननेगी एवं झिंवाली मो0 माग्र से क्षतिग्रस्त रास्ते का पुर्ननिर्माण		
18	कोटगा (जाखणीखाल) रौण रमोली भैगा बैण्ड	एक मुश्त	4.00
19	थान सावली मा0 मार्ग का डामरीकरण	एक मुश्त	5.00
20	दिखोलगांव तानगला मध्य से डडूर नन्दगांव जुगडगांव बगासूधार मंदिर मिसिंग लिंक का नव निर्माण	1.50 0.50	29.70 14.45
21	ग्राम सभा पेटव मो0 मार्ग (वि0 खं0 जाखणीधार में 3 मीटर चोडे मार्ग का मो0 मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य)	0.50	18.00
22	अंजनीसैण दपोली पाली मो0 मार्ग पाली तक डामरीकरण		
23	नवाकोट से काल्डी मो0 मार्ग नव निर्माण	1.50	29.70
24	ग्राम बहेडा दिऊपरी ग्राम सभा से भवानी मंदिर तक सडक निर्माण	0.50	14.45
25	निरालीधार दपोली सुनाली मो0 मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण एवं किमी0 1 का सुधार कार्य	0.50 0.45	14.45 12.10
26	पिलखी द्वारी मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण		
27	मूलगड हुलानाखाल मो0 मार्ग से हण्डियाणा तल्ला मो0 मार्ग की 3 किमी0 ल0 में वन भूमि हस्तान्तरण एवं क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान	1.50 एक मुश्त	29.70 6.00

28	मुयालगांव तोणखण्ड मो0 मार्ग की किमी0 2 ल0 में वन भूमि हस्तान्तरण एवं क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान	एक मुश्त	5.00
29	ज्ञाला से कोटी मो0 मार्ग के विस्तार हेतु 1.10 किमी0 ल0 में वन भूमि हस्तान्तरण एवं क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान	एक मुश्त	5.00
30	विनयखाल महाविद्यालय मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य बुढाकेदार इ0 का0 तक	1.00	28.90
31	घुत्तुखाल डोम कण्डार गांव मे0 मार्ग का विस्तार (नव निर्माण)	1.00	28.90
32	देवलंग रीह मो0 मार्ग पर देवलंग गांव से आगे आवश्यक दीवारों का निर्माण	एक मुश्त	10.00
33	काण्डीखाल से पाली घेरा मो0 मार्ग (नव निर्माण)	0.50	14.45
34	किलकिलेश्वर सिल्काखाल मो0 मार्ग का पुर्न निर्माण एवं सुधार कार्य	0.44	8.00
35	किलकिलेश्वर सिल्काखाल चौन्द्रीखाल मो0 मार्ग के किमी0 6.6 से 7 में 5.95 मी0 चौड़े मो0 मार्ग का पुन निर्माण एवं सुधार कार्य किमी0 17.4 से 18.00	0.60	14.40
36	पौडीखाल कोटी चामी मो0 मार्ग का निर्माण	1.50	43.35
37	बडियार धौड़गी सौराखाल किमी0 18 का पुर्न निर्माण एवं सुधार कार्य	1.00	19.80
38	नैथाना झूलापुल पहुंच मार्ग का इण्टर लौकिंग टाईल से निर्माण	एक मुश्त	9.00
39	ललथ सिवालीधार ह0 वा0 मार्ग का मो0 मार्ग में परिवर्तन 5 किमी0	5.00	35.00
40	बिडोन खांकर मो0 मार्ग के किमी0 1 में अवशेष कार्य (नव निर्माण)	0.500	14.45
41	ताछला नौर ह0 वा0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	1.185	23.50
42	हेवल नदी पर सागडया नामें तोक पर पुलिया निर्माण (class A Loading)	10 मी0	20.00
43	जाजल हांडीसेरा मो0 मार्ग के किमी0 2 में पुलिया निर्माण (class A Loading)	10 मी0	20.00
44	जगेठी राजराजेश्वरी मो0 मार्ग के किमी0 7 का डामरीकरण	1.00	19.80
45	तैला पलाम मो0 मार्ग का डामरीकरण	1.50	29.70
46	इन्दागांव कटखेत मो0 मार्ग का विस्तार	1.00	28.90
47	घुत्ती दुंगा घमाडी मैउखाल मो0 मार्ग व मैउखाल घमाडी ह0 वा0 मार्ग के किमी0 मिसिंग लिंक हेतु कार्य	0.70	20.20
48	ढाणा से प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र थत्यूड तक मो0 मार्ग का डामरीकरण	0.250	5.00
49	सत्यों पुजारगांव ह0 वा0 मार्ग का मो0 मार्ग से परिवर्तन एवं डामरीकरण	0.500	12.00
50	...त्रों की काण्डी ह0वा0 मार्ग का मो0 मार्ग में डामरीकरण	1.00	24.00
51	पी0वी0 रोड़ से बिष्टोसी मो0 मार्ग का नव निर्माण	0.50	14.45
52	मोगी पुरैटी ह0वा0 मार्ग का मो0 मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण	1.00	24.00
53	वि0 खं0 जौनपुर के अन्तर्गत पापरा से खेडा की ओर मो0 मार्ग का नव निर्माण	1.20	34.66
54	देवल ओणेश्वर मो0 मार्ग का डामरीकरण	1.00	19.80
55	के0 जे0 पी0 मो0 मार्ग से मेड़ गाड़	1.00	28.90
56	पी0टी0 मो0 मार्ग के किमी0 18, 19 में अनुसूचित जाति बस्ती की सुरक्षा दीवार	एक मुश्त	2.00
57	पिल्डी बनाली मो0 मार्ग के किमी0 1 से 2 तक सुघरीकरण एवं डामरीकरण	2.25	44.55
58	रौणिया अगरोडा मो0 मार्ग के किमी0 1 में अतिरिक्त पहाड कटान, डामरीकरण, प्रतिकर एवं ग्रामीण रास्तों का निर्माण कार्य	1.00	33.00

59	किल्याखाल–अलूणी–उप्पू ह0 वा0 मार्ग से मो0 मार्ग में परिवर्तन तथा सोलिंग का कार्य	2.50	24.50
60	कापलपानी से हुणखाल हल्के वाहन मार्ग को भारी वाहन मार्ग में परिवर्तन करना एवं डामरीकरण	1.50	40.20
61	टिपरी रौडधार मो0 मार्ग से ग्राम पेटव तक निर्माणाधीन मार्ग पर एच0 पी0 बैण्ड का निर्माण एवं कार्नर कटिंग का कार्य	एक मुश्त	7.20
62	अंजनीसैंण बेसौली मो0 मार्ग के कन्जियाण के नव निर्माण	0.500	14.45
63	देवली बैण्ड कस्तल म्यूड़ी मो0 मार्ग क किमी0 2 एवं 3 में अवशेष कार्य	एक मुश्त	12.55
	योग–	41.675 + 23 एक मुश्त + 2 पुलिया	1037.60

अधीक्षण अभियन्ता
4 वां वृत, लो0नि0वि0
नई टिहरी।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रेष्य,

अधीक्षण अभियन्ता,
8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0
नई टिहरी।

पत्रांक 330 /रा0यो0आ0/जि0यो0/2008–09 दिनांक 30 मई, 2008

विषयः– जिला योजना वर्ष 2008 –09 की प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त करने व वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सचिव,लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश सं0 989/iii (2)/08–14(बजट)/2008 दिनांक 16–04–08 के द्वारा लोक निर्माण विभाग जनपद टिहरी गढ़वाल के लिए रू0 395.70 लाख की धनराशि मार्ग/सेतु कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान सं0–22 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत व्यय हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के निर्वतन में रखी गई है। जिला योजना वर्ष 2008–09 में लोक निर्माण विभाग, जनपद टिहरी में सभी खण्डों का रू0 442.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 3969/30सी–8/08 दिनांक 28–05–08 के द्वारा रू0 395.70 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है।

शासनादेश सं0 624/रा0यो0आ0 /मु0स0 /जि0यो0/2008–09 दिनांक 24–03–08 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की गई व्यवस्था के कम में रू0 395.70 लाख की धनराशि जनपद के समस्त निर्माण खण्डों को मार्ग/सेतु योजनाओं के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है।

1. उक्त धनराशि में से सर्वप्रथम चालू कार्यों को पूरा किया जाने हेतु सम्बन्धित कार्य की वित्तीयं एवं भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए व्यय की जाय।

2. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कियान्वयन में बजट मैनुवल के प्रस्तर सं0 211 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन तथा "टाइम ओवर रन" एवं "कास्ट ओवर रन" के प्रकरण हेतु अर्द्धशासकीय पत्र सं0 बी–1–33586/10–99 जुलाई, 1999 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाय।

3. उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाये। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अर्न्तगत किया जाये जिनके लिए यह स्वीकृति ज़ारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5175
31/5

4. उक्त व्यय में बजट मैनवल वित्तीय हस्तपुस्तिका टैण्डर /कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययिता विषय में समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन किया जाये।

5. स्वीकृत धनराशि की फांट जिला योजना में प्राविधानि के अर्न्तगत रखी जायेगी, इससे अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये ।

6. आहरित धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित रूप–पत्र बी0एम0–8 पर आगामी माह 8 तारीख तक मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

7. आवंटित धनराशि से होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये अनुदान संख्या – 22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें,–आयोजनागत 800–अन्य–व्यय–91 जिला योजना–00–24 वृहत निर्माण कार्य में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8. योजना के कार्यों पर व्यय जनरल अवेस्ट्रेक्ट ऑफ कास्ट के मदों के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायें।

9. जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृति विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वादा किया जाय।

10. सुरक्षात्मक कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल पौड़ी से करवाकर कर ही निर्मित करवाया जाय।

11. उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा मासिक आवश्यकतानुसार तीन सामान्य किस्तों में कोषागार से आहरण किया जायेगा, योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग एवं विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तरदायी होगी।

12. कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाय एवं उन पर कोई व्यय न किया जाय और उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का वित्तीय वायदा न किया जाय जब तक कि प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत आंगणन/नकशे आदि पर संक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

13. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मित्व्ययी मदों में आंबटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों के अधीन व्यय

करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाये।

14. मितव्ययीता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययीता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जहाँ आवश्यक हो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर वित्तीय व्यय के प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जायेगा। जहां निर्माण कार्य किये जाने हो वहां आंगणनों पर शासन का अनुमोदन नियमानुसार कर लिया जायेगा।

15. योजनाओं पर कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब उसके प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत नियमानुसार प्राप्त कर ली जाय।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

भवदीय,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

पत्रांक /रा0यो0आ0/जि0यो0/2008–09 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0 देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र लो0नि0वि0, पौड़ी।
8. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढवाल।
10. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढवाल।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नई टिहरी।
12. गार्ड/बजट पत्रावली के उपयोगार्थ।

पत्रांक 4175 / 30 [illegible]–8/08 दिनांक 04/8/08

प्रतिलिपि: [illegible]

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

[illegible]

[illegible] 3-6

अधीक्षण अभियन्ता
8 वाँ वृत्त, लो0नि0वि0
नई टिहरी।

लोक निर्माण विभाग जिला योजना वर्ष 2008--09 के जनपद टिहरी (गढ़वाल) मार्गो/पुल--पुलियों का निर्माण कार्य जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी टिह गढ़वाल के पत्रांक 530/1/रा०मा०आ०2/जि0यो0/08 -- 09 दिनांक 30 मई 2008 द्वारा प्रदान की गई है ।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई	लागत रू0 लाख में
1	2	3	4
1	भेनगी ह0 वस्ती क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की मरम्मत का कार्य	एक मुश्त	2.00
2	खोला धारमण्डल ह0 वस्ती पेयजल योजना की मरम्मत का कार्य	एक मुश्त	2.00
3	काण्डाखाल में नन्दिर के नीचे सुरक्षा दीवार	एक मुश्त	2.00
4	पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग किमी0 1 व 2 में सुधार कार्य	एक मुश्त	2.50
5	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 32--33 में सुधार कार्य व दीवार निर्माण ।	एक मुश्त	5.00
6	लम्बगांव कोटालगांव चमियाला मो0 मार्ग किमी0 11 में दीवार व सम्पर्क मार्ग	एक मुश्त	3.00
7	रिण्डोल मदननेगी क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग सुधार कार्य	एक मुश्त	1.50
8	लम्बगांव विजपुर पनियाला मो0 मार्ग किमी0 5 बैण्ड के समीप सुरक्षा दीवार	एक मुश्त	2.00
9	लम्बगांव विजपुर पनियाला मो0 मार्ग किमी0 6 भटपनियार नामे तोक में पानी की टंकी व दीवार का निर्माण	एक मुश्त	3.00
10	विसातली मो0 मार्ग अवशेष कार्य एवं प्रतिकर	एक मुश्त	8.70
11	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 19 पटूड़ी में गूल व पानी की निकासी का कार्य ।	एक मुश्त	2.70
12	लम्बगांव प्रतापनगर किमी0 8 वे0 पा0 रमोलगांव के पास कौजवे स्कपर निर्माण	एक मुश्त	2.00
13	देवली बैण्ड कस्तल किमी0 2, 3 व 5 में अवशेष कार्य व प्रतिकर भुगतान	एक मुश्त	10.00
14	प्रतिक्षालय निर्माण मदननेगी में	एक मुश्त	2.00
15	निरालीधार--दपोली--सोनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में पुनः निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य ।	0.50	10.00
16	छड़ा नामे तोक से कुमारधार तक मोटर मार्ग नव निर्माण का कार्य ।	0.40	14.00
17	टिपरी रौड़धार मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से ग्राम पेटव तक L.V. मार्ग का चौड़ीकरण ।	0.50	12.15
18	देवनगरी जिजली बागी मोटर मार्ग पर भवनों की सुरक्षा हेतु दीवारों का निर्माण	एक मुश्त	6.00
19	तिखोन नैरी मोटर मार्ग का सुधार कार्य	एक मुश्त	6.00
20	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत थाती--कोट घण्डियाल सौड़ तितुर्णा हल्का वाहन मार्ग के कि0मी0 7, 8, 9, व 10 को 5.95 मी0 चौड़ाई के मो0 मार्ग में परिवर्तित करना	1.20	24.00
21	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत चानी सम्पर्क मोटर मार्ग का विस्तार	0.50	13.50
22	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत मूलगढ़--हुलानाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में पड़ने वाले क्षतिग्रस्त काजवे का पुनः निर्माण कार्य	एक मुश्त	1.20

क्रमशः

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई	लागत (लाख रु0 में)
1.	2	3	4
23	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगना के अन्तर्गत मुयालगांव पुलिया से तोणखण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण	0.30	10.50
24	किलकेश्वर सिल्काखाल चोलीखाल मोटर मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण	2.06	49.50
25	चाका–पेन्दार्स मोटर मार्ग से जखोली के आगे मोटर मार्ग का डामरीकरण	1.65	33.00
26	दिऊली–कुन्जापुरी मोटर मार्ग के शेष भाग का डामरीकरण	0.80	16.00
27	हिण्डोलाखाल–कुन्जापुरी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में 100 मी0 में पक्की नाली निर्माण कार्य	0.10	0.45
28	बी0बी0 रोड़ से विस्टासी मो0 मार्ग	0.50	17.50
29	थत्यूड़ मराड़ हल्कावाहन मार्ग का मोटर रोड़ में परिवर्तन 1.00 किमी0	1.00	7.00
30	पंतवाड़ी से कोड़ी मार्ग का नवनिर्माण	0.25	8.75
31	थत्यूड़ से राजकीय इण्टर कालेज मार्ग का अवशेष भाग का डामरीकरण	0.25	5.00
32	आर0के0के0 रोड़ से सत्यों बाजार इन्टर कालेज पहुंच मार्ग का डामरीकरण एवं सुधार कार्य	0.25	5.00
33	काण्डीसौड़ से रमोल गांव मार्ग का नव निर्माण-	0.25	8.75
34	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत मैंघाधार–आलीसरूणा–कोट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.30	10.50
35	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत सौफ आर्स सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.40	14.00
36	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत झाला से कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.40	14.00
37	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत चकरेड़ा हल्का वाहन मार्ग को यातायात हेतु खोलने के लिये स्लिप सफाई का कार्य	एक मुश्त	2.00
38	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत घनसाली बाजार से सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	एक मुश्त	9.00
39	प्रतापनगर, धारकोट वैण्डपर यात्री प्रतिक्षालय, एवं पैरापिट निर्माण ।	एक मुश्त	3.50
40	अगार सिद्धपीठ –वालखाखाल मो0 मार्ग	2.00	46.00
	योग–	20 मुश्त + 13.56	395.70

28.5.08

अधीक्षण अभियन्ता
8वां वृत,लो0नि0वि0,
नई टिहरी ।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0